न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 77 / 2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/ 00077)

संजीव कुमार पुत्र श्री दयाराम जाति जाट निवासी गांधी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानंढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी बड़ी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ जरिय प्रधानाचार्य।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. श्री भीमसिह पुत्र चन्दुलाल जाट निवासी ग्राम गांधी बड़ी तहसील भादरा ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजकुमार व्यास – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 14.03.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 17.05.2010 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने तहसीलदार (राजस्व) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत इंतकाल तमलीकनामा के आधार पर दर्ज करने हेतु पेश किया। तहसीलदार ने उक्त पत्र की प्रतिलिपि अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ व उपखण्ड अधिकारी भादरा को सूचनार्थ प्रेषित कर दी। उपरोक्त पत्र के पश्चात अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने तमलीकनामा की प्रति तहसीलदार से चाही, इस पत्र के प्राप्त होने के पश्चात जिला कलक्टर हनुमानगढ ने तमलीकनामा के प्रति के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। श्री विजय कुमार पारीक ने दिनांक 14.06.2010 को जरिये वकालतनामा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर भीमसिह पुत्र चन्दुलाल को अपील में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.06.2010 को भीमसिह को अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 4 पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा इस न्यायालय की पत्रावली तलब करने पर पत्रावली राजस्व मण्डल को भिजवाई गई। राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 26.08.2019 को अपीलान्ट की निगरानी खारिज कर इस न्यायालय की पत्रावली वापिस लौटा दी। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित नही होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलांट के दादा मीसरी उर्फ खेताराम पुत्र श्री बस्तीराम जाट तहसील भादरा के नाम खातेदारी कृषि भूमि चक 5 एस डी आर मुरब्बा नं. 42 किला सं. 21 ता 24 थी। अपीलान्ट के दादा ने कृषि भूमि का मौखिक बटवारा किया जिसमें उपरोक्त चक 5 एस डी आर की 4 बीधा भूमि अपीलांट के पिता दयाराम के हिस्से में आई जिनका इस पर कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने तहसीलदार भादरा के संमक्ष एक प्रार्थना पत्र उपरोक्त कृषि भूमि का इंतकाल कथित तमलीकनामा के आधार पर दर्ज करने हेतु पेश किया, जिस पर तहसीलदार भादरा ने हल्का पटवारी से मौका व रेकार्ड की रिर्पोट मंगवाई, जिस पर पटवारी ने अपनी रिर्पोट पर भूमि जेर अपील पर अपीलान्ट संजीव कुमार का कब्जा काश्त होना बताया। तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जरिये पत्र दिनांक 28.01.2010 को सूचित कर दिया कि कथित तमलीकनामा पचास वर्ष से अधिक पुराना है जिसके 4 बीधा पर संजीव कुमार का कब्जा काश्त है। तथा मुरब्बा नं. 95 के किला नं. 4 विक्रय किया जा चुका है जिस पर क्रेता का कब्जा है अतः

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रकरण का निर्णय संक्षम न्यायालय से करवा लेवे। तहसीलदार ने उक्त पत्र की प्रतिलिपी अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ व उपखण्ड अधिकारी भादरा को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित कर दी। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने कथित तमलीकनामा की प्रति तहसीलदार को चाही जिसकी पालना में तहसीलदार ने पत्र सं. 785 दिनांक 24.02.2010 को उस तमलीकनामा की प्रति अपर जिला कलक्टर को प्रेषित कर दी एव जिला कलक्टर हनुमानगढ ने उस कथित तमलीकनामा की चित्र प्रति के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 17.05.2010 को जरिये पत्र दिया। उक्त आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 23 (2) के अनुसार न्यायिक प्रकृति का आदेश है जो कि अनुसूची प्रथम के क्रम 6, 7 पर अंकित है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का व जवाब देने का अवसर प्रदान नही किया। जिस तमलीकनामा के आधार पर अदालत मातहत ने इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश दिया है व चित्र प्रति ही अदालत मातहत के समक्ष पेश हुई है। प्रमाणित प्रति अथवा असल प्रतिलिपि प्रस्तुत नही हुई है। चित्र प्रति अनुसार तमलीकनामा वैध नही है। उक्त तमलीकनामा में दानदाता द्वारा दान किया जाना व दानग्रहिता द्वारा दान स्वीकार किया जाना भी उद्वत नही है। धारा 122 संपति अन्तरण अधिनियम में दानग्रहिता द्वारा दान स्वीकार किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है। जिसके अभाव में दान पत्र की कोई विधिक मान्यता नही होती । तमलीकनामा के आधार पर किसी तरह के अधिकारो को तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है राजस्व न्यायालय को नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक अपने कथन के समर्थन में RRD 1968 पृष्ठ 130, RAJ LAND REVENUE ACT 1956 S. 23 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 4 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की है। धारा 76 के अन्तर्गत विधिक न्यायिक आदेशो के विरूद्व अपील पेश होती है, यह अपील न्यायिक आदेशो के विरूद्व

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नही होने से अपील डिफेक्टिव है। उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम नही है, अपीलाधीन भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 के दादा के नाम खातेदारी दर्ज है। इन्तकाल दर्ज भी नही हुआ है और ना ही खारिज हुआ है। तहसीलदार के आदेश की कॉपी नही है, दिनांक 17.05.2010 का जिला कलेक्टर हनुमानगढ का कोई निर्णय है ही नही, यह तो जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा तहसीलदार भादरा को लिखा पत्र है,जो प्रशासनिक आदेश की श्रेणी मे आता है, प्रशासनिक आदेशो के विरूद्व अपील संधारण योग्य नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 4 के अभिभाषक अपने कथन के समर्थन में RRD 1994 पृष्ठ 481, 1994 पृष्ठ 270, 1998 पृष्ठ 226, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपील में मुख्य बिन्दु जिला कलक्टर हनुमानगढ के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3543 दिनांक 17.05.2010 जिसके द्वारा तहसीलदार भादरा को चक 5 एस डी आर के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 21 ता 24 कुल 4 बीधा तमलीकनामा (दानपत्र) के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित कियां गया है के संबंध में यह है कि उक्त आदेश न्यायिक प्रकृति का आदेश है, अथवा प्रशासनिक आदेश है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार चक 5 एस.डी.आर. तहसील भादरा के मु.नं. 42 की भूमि के संबध में तहसीलदार भादरा के संमक्ष प्रधानाचार्य राज. उच्च मा. विद्यालय गांधी बड़ी तहसील भादरा ने पत्र क्रमांक 844 दिनांक 10.10.2007 के द्वारा तमलीकनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिस पर तहसील द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गई तत्पश्चात तहसीलदार भादरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 345–347 दिनांक 28.01.2010 के द्वारा निदेशक महोदय मा. शिक्षा बीकानेर को अवगत कराया कि तमलीकनामा 50 वर्ष से अधिक पुराना है तथा चक 4

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

एस.डी.आर. के मु. नं. 42 कें किला नं. 21 ता 24 भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है तथा चक 8 एस डी आर के मु. नं. 95 किला नं. 4 का बैचान होने के कारण सक्षम न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही कार्यवाही संभव है उक्त पत्र की प्रति जिला कलेक्टर हनुमानगढ को भी प्रेषित की गई थी, उक्त पत्र के आधार पर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा अपीलाधीन पत्र जारी किया गया है क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय जिला कलक्टर हनुमानगढ के द्वारा हितबद्व पक्षकारो को सुना नही गया साथ ही तमलीकनामा एक फैमिली सेटलमेन्ट है जिसके बारे में विधिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि तमलीकनामा तमलीककर्ता के जीवन काल तक ही मान्य होता है, तथा तमलीककर्ता की मृत्यु पश्चात उसके विधिक वारिसान मे ही हित निहित होते है। तमलीकनामा व दान पत्र दोनो अलग– अलग प्रकृति के दस्तावेज है। दान पत्र में दान ग्रहिता की सहमति एवं हस्ताक्षर आवश्यक है। इन सभी विधिक बिन्दूओं पर नामान्तकरण दर्ज करते समय तहसीलदार भादरा को निर्णय लेना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 (2) एवं अनुसूची प्रथम के 4 व 7 के अन्तर्गत न्यायिक आदेश नही माना जा सकता क्योंकि नामान्तकरण दर्ज करने का अधिकार मूलतः तहसीलदार मे निहित है तथा तहसीलदार के द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने के पश्चात प्रथम अपीलीय क्षैत्राधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त है। इस प्रकरण में तहसीलदार भादरा द्वारा कोई नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्रशासनिक प्रकृति का आदेश है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रशासनिक आदेश को प्रथम अपील में पारित निर्णय मानते हुए द्वितीय अपील के रूप में प्रस्तुत की गई है जो कि कानूनन संधारण योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।